

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI**

No:F.10 (210)IMFL/2011-12/PF-1/ 6187-6204

Dated: 29/09/2023

ORDER

In pursuance of the provisions of Rule 52 of Delhi Excise Rules, 2010, it is hereby ordered that following dates shall be observed as "Dry Day" in the National Capital Territory of Delhi by all L-1, L-1F, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-6FG, L-6FE, L-8, L-9, L-10, L-11, L-14, L-18, L-18F, L-23, L-23F, L-25, L-26, L-31, L-32, L-33, L-34 and L-35 licensees and opium vends located in Delhi.

Sl. No	Occasion	Date	DAY
1	Mahatma Gandhi`s Birthday	02.10.2023	Monday
2	Dussehra	24.10.2023	Tuesday
3	Maharishi Valmiki`s Birthday	28.10.2023	Saturday
4	Diwali(Deepavali)	12.11.2023	Sunday
5	Guru Nanak`s Birthday	27.11.2023	Monday
6.	Christmas Day	25.12.2023	Monday

In addition to above, all L-16, L-16F, L-17, L-17F, L-19, L-19F, L-20, L-20F, L-21, L-21F, L-22, L-28, L-28F, L-29, L-29F, P-10, P-10A and P-13 licensees shall observe dry day on 02.10.2023 (Mahatma Gandhi's Birthday).

Sl.No	Occasion	Date	DAY
1	Mahatma Gandhi`s Birthday	02.10.2023	Monday

The licensees shall not be entitled to any compensation on account of any changes effected in the above list.

The restriction of sale on liquor on dry days mentioned above shall not apply to the service of liquor to residents in case of hotels having L-15/L-15F license.

All the licensees shall exhibit this order at some conspicuous place of their licensed premises.

The business premises of a licensee shall be kept closed on dry day.

29/9/23
(KRISHNA MOHAN UPPU)
COMMISSIONER (EXCISE)

:2:

No:F.10 (210)IMFL/2011-12/PF-1/6187 -6204

Dated: 29/09/2013

Copy forwarded to:-

1. Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi.
2. Addl. Secretary to the Chief Minister, Government of NCT of Delhi
3. Secretary to Finance Minister, Govt of NCT of Delhi.
4. The Chief Secretary, Govt of NCT of Delhi.
5. Addl. Chief Secretary (Finance), Govt of NCT of Delhi.
6. The Commissioner of Police, NCT of Delhi
7. The Divisional Commissioner-Cum-Secretary (Revenue) NCT of Delhi
8. The Director of Information and Publicity for wide publicity
9. The Under Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi
10. Dy. Commissioner (Taxes/Excise), Deptt. Of Excise, Entt. & Luxury Tax.
11. A.C. (ESCIMS) for uploading the same on the online portal through TCS.
12. A.C. (Permit) for necessary action.
13. In-charge Computer Cell for necessary action.
14. All the Branch Officers, Excise Department, Delhi with the request to circulate this order to all the licensees under their control.
15. All Excise Inspectors/Sub Inspectors for ensuring strict compliance.
16. The Managing Director, DSIDC, DTTDC, DSCSC and Administrator, DCCWS.
17. All licensees.
18. Guard File.


(SONIKA SINGH)
DEPUTY COMMISSIONER (EXCISE)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यलय आबकारी आयुक्त
एल-ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.फा.10(210)/आई.एम.एफ.एल/आब/पार्ट फाइल/ 6187-6204

दिनांक: 29/09/2023

आदेश

दिल्ली आबकारी नियमावली 2020 के नियम-52 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कुछ अवसरों के उपरान्त “शुष्कदिवस” घोषित किया जाता है जो किस भी एल-1, एल-1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-8, एल-9, एल-10, एल-11, एल-14, एल-18, एल-18एफ, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34 एवं एल-35 और अफ्रीम की दुकान के लाइसेंस धारकों पर लागू होगा।

क्रमसंख्या	अवसर	तारीक	दिन
01.	महात्मागांधीजयंती	02.10.2023	सोमवार
02.	दशहरा	24.10.2023	मंगलवार
03.	महर्षि वाल्मीकि जयंती	28.10.2023	शनिवार
04	दिवाली (दीपावली)	12.11.2023	रविवार
05	गुरुनानकजयंती	27.11.2023	सोमवार
06	क्रिसमस	25.12.2023	सोमवार

सभी एल-16, एल-16 एफ, एल-17, एल-17 एफ, एल-19, एल-19एफ, एल-20, एल-20 एफ, एल-21, एल-21एफ, एल-22, एल-28, एल-28 एफ, एल-29, एल-29 एफ, पी-10, पी-10 ए एवं पी-13 लाइसेंसधारियोंको 02.10.2023 (सोमवार) महात्मा गांधी जयंती, के उपरान्त “शुष्क दिवस” के रूप में घोषित किया जाता है।

क्रमसंख्या	अवसर	तारीक	दिन
01.	महात्मागांधीजयंती	02.10.2023	सोमवार

उपरोक्त सूची में किसी भी परिवर्तन की अवस्था में लाइसेंसधारी किसी भी मुआवजो का हकदार नहीं होगा।

उक्तलिखितमध्य-निषेध दिनों में शराब की बिक्री पर लागू प्रतिबन्ध, लाइसेंसधारियों एल-15/15एफ की स्थिति में वहां

ठहरे मेहमानों को शराब परोसने पर लागू नहीं होगा।

सभी लाइसेंस धारी इस सूची को अपने लाइसेंस परिसर में उचित स्थान पर दर्शायेंगे।

“शुष्कदिवसों” पर लाइसेंस धारी वाणिज्य परिसर बंद रहेंगे।

कृष्ण मोहन
29/9/23

(कृष्ण मोहन उप्पू)
आबकारी आयुक्त

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के प्रधान सचिव, राज निवास दिल्ली.
2. माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अपर सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
3. माननीय वित्त मंत्री दिल्ली के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
4. मुख्य सचिव दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
5. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
6. पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
7. संभागीय आयुक्त, एवं सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
8. उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिल्ली गजट में अधिसूचना के लिए.
9. अवर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
10. उपायुक्त (आबकारी/कर), आबकारी मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
11. सभी शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, इस आदेश को सभी लाइसेंसधारियों को जो उनके नियंत्रण में हैं, उनको प्रसारित करने हेतु.
12. सभी आबकारी निरीक्षक/उप-निरीक्षक कड़ाई से अनुपालन हेतु.
13. प्रबंधक निदेशक, डी.एस.आई.डी.सी, डी.टी.टी.डी.सी, डी.एस.सी.एस.सी एवं प्रशासक, डी.सी.सी.डब्लू.एस. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
14. सभी लाइसेंसधारकों को प्रेषित.
15. सहायक आयुक्त (ई.एस.सी.आई.एम.एस.) विभागीय पोर्टल पर टी.सी.एस द्वारा उपलोड कराने हेतु.
16. प्रभारी कंप्यूटर सेल, विभागीय वेबसाइट पर उपलोड कराने हेतु.
17. गार्ड फाइल.

सोनिका सिंह
29/9

(सोनिका सिंह)

आबकारी उप-आयुक्त